भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 490806

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख आज दिनांक 07.12.10 को तहसील व परगना धामपुर जिला बिजनौर में निष्पादित किया गया, जिसके पक्षकार निम्न हैं :–

1– डा0 लाल बहादुर रावल पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद रावल निवासी रानी बाग, नौरंगाबाद, अल्हैपुर, तहसील व परगना धामपुर जिला बिजनौर आयु 53 वर्ष पेशा नौकरी ।

मुख्य ट्रस्टी

2– श्रीमति डा0 रश्मि शर्मा रावल पत्नी डा0 लाल बहादुर रावल निवासी रानी बाग, नौरंगाबाद, अल्हैपुर, तहसील व परगना धामपुर जिला बिजनौर आयु 43 वर्ष पेशा नौकरी।

सदस्य

5001 - 5099 4-12-010

लाल बहादुर राय पुत्र स्व. तिवारी प्रसाद राय

10001

-3 DEC 2010

उपकोषागार

हस्ताक्षर

जिला प्रथम - शिलालेख रामपुर

तारीख में आज दिनांक 07/12/2010

07/12/2010

इस लेखपत्र को निष्पादन स्वीकार किया

रामपुर

07-12-10

साक्षियों के चिह्न

07-12-10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 395866

मां केला देवी चेरिटेबिल ट्रस्ट

जोकि यहां न्यास संस्थापकगण कहलाये जायेगें।

क्योकि न्यास संस्थापकगण उपरोक्त की इच्छा है कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास का सृजन किया जाये जिसके उद्देश्य शिक्षा प्रसार के लिये विभिन्न स्तरीय विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रोद्यौगिक विद्यालयों व प्रशिक्षण संस्थायें आदि की स्थापना व संचालन करना, स्वास्थ्य सहायता के लिये अस्पताल, जच्चा बच्चा केन्द्र, मल्टी स्पेशिलिटी चिकित्सालयों की स्थापना व संचालन करना, निराश्रितों के लिये धर्मशाला व सार्वजनिक भवन का निर्माण करना, खेलकूद की लिये स्टेडियम का निर्माण व संचालन, विवाह गृह, जलपान गृह अथवा अन्य इसी प्रकार के दूसरे कार्य जो जनहित में हों तथा जिनका विस्तृत रूप से वर्णन इस न्यास प्रलेख के उप वाक्य 3 में दिया गया है, की पूर्ति करना है।

और क्योकि उपरोक्त कार्यों की पूर्ति हेतु कथित न्यास के संस्थापकगण एतद्द्वारा एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास का निर्माण कर दिया गया है और तदानुसार संस्थापकगण उपरोक्त में कुल 30000/– रूपये (तीस हजार रूपये) की धनराशि उक्त न्यास के लिये निर्धारित करके उक्त न्यास में दे दी है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 395867

और क्योकि संस्थापकगण द्वारा यह वांछनीय है कि न्यास का विस्तार समय-समय पर दान, चैरिटी, अनुदान, सांसद/विधायक निधियों, शासकीय योजनाओं एवं ग्रान्ट आदि के द्वारा किया जायेगा।

और चूंकि उक्त न्यास के संस्थापकगण द्वारा यह भी वांछनीय है कि एक औपचारिक न्यास प्रलेख एक्त न्यास के निकाय के निर्माण के सम्बन्ध में निष्पादित हो जायें जिससे यह न्यास प्रलेख निष्पादित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है।

(1) यह कि उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावशाली बनाने के दृष्टि से संस्थापकगण एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि उक्त न्यास में कुल 30000/- रूपये (तीस हजार रूपये) की धनराशि उक्त न्यास में दे दी है और आज दिनांक 07.12.10 को हस्तान्तरित कर दी है जिसका उपभोग उक्त धार्मिक/सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जायेगा और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी किया जायेगा जिसका विशिष्ट उल्लेख आगे प्रलेख में दिया गया है तथा उक्त धनराशि का उपभोग व प्रयोग उन्हीं शक्तियों, दशाओं व नियमों के अर्न्तगत किया जायेगा जिसका उल्लेख इस न्यास प्रलेख में किया गया है।

(2) यह कि उक्त न्यास का नाम **मां केला देवी चेरिटेबिल ट्रस्ट** रहेगा जिसका कार्यालय रानी बाग, नौरंगाबाद, अल्हैपुर, तहसील व परगना धामपुर जिला बिजनौर में रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 395868

(3) यह कि उक्त न्यास के उद्देश्य गरीबों को सहायता देना व जरूरत मन्द लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य लाभ देना, धर्मशाला, आराम घर का निर्माण करना, भारत में विवाह संस्कार में मदद देना व सार्वजनिक उपयोग के सभी उद्देश्यों के विस्तार में मदद करना है तथा न्यासीगण न्यास सम्पत्ति का धारण निम्न उद्दश्यों के लिये करेंगे।

(3अ) यह कि न्यास सम्पत्ति का उपयोग उक्त सम्पत्ति पर ब्याज प्राप्ति के लिये तथा अन्य आयों की प्राप्ति के लिये और न्यास सम्पत्ति की आय से व्यय को पूर्ण करने के लिये व न्यास कर आकस्मिक आय से धर्मार्थ के उक्त उद्देश्यों के लिये किया जायेगा।

(3ब) यह कि धर्मशाला व आरामघर के निर्माण के उद्देश्य के अर्न्तगत धर्मशाला व आरामघर का निर्माण व रख-रखाव दोनों शामिल हैं और भारत वर्ष में कहीं भी स्थित सार्वजनिक धर्मशाला व आरामघर के रख-रखाव व निर्माण में मदद देना भी शामिल है।

(3स) यह कि विवाह कराने व उसमें मदद करने के उददश्य के अर्न्तगत भारत में गरीब व जरूरतमंद लोगों की शादी कराने में मदद देना भी शामिल है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 395869

(3द) यह कि गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिये सुविधायें एवं आराम करने के लिये आरामघर, शरणस्थल व अन्य इसी प्रकार के स्थानों का निर्माण करना व उक्त प्रकार के निर्माण में मदद देना तथा उनका संचालन करना भी न्यास के उद्देश्यों में शामिल है।

(3य) यह कि भारत में स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य के अन्र्तगत जनता के लिये अस्पताल, जच्चागृह, चिकित्सालय का निर्माण कराना व उनका सुचारू रूप से संचालन करना शामिल है व सार्वजनिक मौजूदा अस्पताल, चिकित्सा गृह व जच्चा गृह के निर्माण व रख–रखाव को मदद देना भी शामिल है।

(3र) यह कि स्वास्थ्य लाभ प्रदान का अर्थ ऐलोपैथिक पद्धति के आधार पर चल रहे अस्पताल व संस्थाओं के साथ–साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी पद्धति पर चल रहे अस्पताल व संस्थायें भी शामिल है।

(3ल) यह कि शिक्षा के उद्देश्य के अन्र्तगत सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण व संचालन करना तथा योग्य व जरूरत मंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना व उन्हें हर सम्भव मदद प्रदान करना भी शामिल है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 395870

(3व) यह कि सार्वजनिक धर्मार्थ रूप के अन्य कार्य करना तथा सामान्य सार्वजनिक उपयोग के अन्य उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करना भी न्यास के उद्देश्यों में शामिल है।

(4) यह कि उक्त न्यास का प्रबन्ध न्यासधारियों के बोर्ड द्वारा किया जायेगा। न्यासधारियों के बोर्ड के सदस्य संस्थापक न्यासधारीगण भी होगा।

(5) यह कि न्यासधारी बोर्ड की मीटिंग समय-समय पर न्यास के कार्यों की देख-रेख कराने व उसके कार्यों की समलोचना करने व न्यास की सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिये होगी। उक्त मीटिंग का समय, स्थान व तिथि के निर्धारण का प्रस्ताव संस्थापक न्यासियों व उपस्थित न्यासधारियों की सहमति से पास किया जायेगा।

(6) यह कि न्यासधारियों में से किसी की मृत्यु होने पर अथवा उसके अयोग्य होने पर अथवा दीवालिया घोषित होने पर अथवा त्याग पत्र देने पर अथवा बतौर न्यासधारी के कार्य करने से मना करने पर सभी न्यास संस्थापक न्यासियों को यह समान अधिकार होगा कि वह अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, जिसको वह योग्य समझते हैं, इस धर्मार्थ न्यास के न्यासी बनाने के अधिकारी होगें। तथा संस्थापक न्यासियों को यह अधिकार भी होगा कि वे उनके द्वारा बनाये गये किसी न्यासी को अगर वह न्यासी न्यास की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है या न्यास को हानि पहुंचाने की आशंका है तो हटा भी सकते हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 395871

(7) यह कि न्यासधारियों के बोर्ड में उपरोक्त 02 संस्थापक न्यासियों के अतिरिक्त अधिक से अधिक 03 न्यासी सदस्य और नामित हो सकते हैं।

(8) यह कि उपरोक्त समस्त संस्थापक न्यासियों अथवा किसी एक संस्थापक न्यासी की मृत्यु होने पर उसके समस्त अधिकार उनके उत्तराधिकारियों में स्वतः हस्तान्तरित/निहित हो जायेंगे।

(9) यह कि न्यास के संस्थापकगण जीवनपर्यन्त स्थायी न्यासधारी रहेंगे तथा बोर्ड आदि की मिटिंग अथवा किसी भी कार्य में संस्थापक न्यासी के उपस्थित न होने पर उसके द्वारा लिखित पत्र को ही उसकी उपस्थिति माना जायेगा।

(10) यह कि न्यास के लिये न्यासधारियों को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है कि वह न्यास की आवश्यकतानुसारा कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों को उचित वेतन पर नियुक्त कर सकेगें और इस प्रकार नियुक्त किये गये किसी भी कार्यकर्ता/कर्मचारी को न्यास की भावनाओं के अनुरूप कार्य न करने पर अथवा उससे न्यास को किसी हानि पहुंचने की आशंका होने पर उसको हटाने का भी अधिकार न्यासधारियों को होगा।

(11) यह कि न्यास के नियमित हिसाब के खाते न्यास द्वारा रखे जायेंगे और उन खातों में न्यास की वार्षिक आय–व्यय का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष 31 मार्च तक का होगा तथा उक्त खाते प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा परीक्षित कराये जायेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 395872

(12) यह कि न्यासधारी न्यास के लिये किसी भी संस्था अथवा मनुष्य द्वारा चल/अचल सम्पत्ति के रूप में दान, उपहार, धन व सम्पत्ति आदि ग्रहण कर सकेंगे।

(13) यह कि न्यास का खाता किसी भी बैंक में स्थापकगण न्यासी सम्मिलित रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जिनका चयन संस्थापक न्यासीगण द्वारा किया गया हो, के द्वारा खोला व संचालित किया जा सकेगा।

(14) यह कि न्यास के उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिये भवन निर्माण हेतु एवं विकास हेतु न्यास अपनी सुविधानुसार किसी भी सरकारी, गैर सरकारी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं, कम्पनियों या व्यक्ति से ऋण ले सकती है और इस प्रकार लिये गये ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी न्यास की तरफ से न्यास से सभी सदस्यों की होगी।

(15) यह कि न्यास द्वारा इस प्रकार लिये गये ऋण से सम्बन्धित दस्तावेजों पर न्यास की तरफ से हस्ताक्षर संस्थापकगण न्यासी सम्मिलित रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा जिस सदस्य का चयन संस्थापक न्यासीगण द्वारा किया गया हो, के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 395873

(16) यह कि न्यास की धनराशि का विनियोजन किसी भी बैंक में चालू खातों/बचत खातों/जमा मियादी खातों/अन्य प्रतिभूतियों/सम्पत्तियों के रूप में किया जा सकता है।

(17) यह कि जहां तक सम्भव हो किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति को न्यास के नाम से ही प्राप्त किया जायेगा और यदि ऐसा करना सुविधाजनक न हो तो अंशकालीन के रूप में न्यास के संस्थापकगण के नाम में ही प्राप्त किया जायेगा।

(18) यह कि न्यास किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय करने में सक्षम होगा अथवा न्यास के उददेश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक सम्पत्ति पट्टे पर एवं किराये पर भी ले सकते हैं ।

(19) यह कि न्यास की किसी भी आय अथवा लाभ अथवा उसका कोई अंश संस्थापकगण के लाभ के लिये उपयोग नही किया जायेगा और न ही उनके सम्बन्धी और ऐसे व्यक्ति जिनका उल्लेख इनकम टैक्स एक्ट के अर्न्तगत दिया है, के लिये भी उपयोग नहीं किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 395874

(20) यह कि न्यास के विखण्डन की स्थिति में न्यास की सम्पत्ति भारत में स्थित अन्य इसी प्रकार की संस्था अथवा न्यास के समान हो और जिसका पंजीकरण इनकम टैक्स विभाग में सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में हो, को संस्थापक न्यासीगणों की सहमति से हस्तान्तरित हो सकती है।

(21) यह कि यदि संस्थापकगणों में से कोई संस्थापक इस न्यास से अलग होना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से अपने अधिकार दूसरे संस्थापक न्यासी अथवा जिस व्यक्ति को चाहे देकर अलग हो सकता है।

(22) यह कि न्यासीगण एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि वे पूर्ण लगन व उत्साह के साथ व ईमानदारी से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेंगे तथा न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा व उसके हितों की सुरक्षा के लिये पूर्ण सेवाभाव से समर्पित रहेंगे।

(23) यह कि न्यास के लिये यह वैधानिक होगा कि वह अतिरिक्त धन का संचय कर सकते हैं तथा उसका विनियोजन भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अर्न्तगत कर सकते हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 395875

(24) यह कि न्यास विलेख के नियमों में कोई भी परिवर्तन, संशोधन, काटना व जोड़ना आदि किया जाता है तो इसकी सूचना संबन्धित वैधानिक संस्थाओं को भी देना अनिवार्य है।

(25) यह कि न्यास सम्बन्धी कोई भी विवाद होने की स्थिति में सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जिला बिजनौर होगा।

(26) यह कि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी संस्था द्वारा लागू प्रतिबन्धों के पालन के लिये न्यास बाध्य रहेगा ।

अतः बतौर प्रमाण संस्थापकगणों ने इस न्यास प्रलेख को आज दिनांक 07.12.10 को स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया।

गवाह न0 1 राजेश कुमार S/O श्री रवेन्द्र सिंह नि० साकेत बिहार कालोनी धामपुर

गवाह न0 2 जगपाल सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह नि० ...

दस्तावेज लेखक : रजनीश राणा तहसील धामपुर

रजनीश राणा
7-12-10

581. 5099 5-12-010

5001

1000/.

उप रोकड़िया   उप कोषाधिकारी

आज दिनांक 7-12-10
पुस्तक संख्या I खण्ड 2443
के 121 क्रम संख्या 181
रजिस्ट्रीकृत किया गया

उपनिबन्धक